रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 270] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 1972/अग्रहायण 13, 1894

No. 270] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 1972/AGRAHAYANA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th December, 1972

SUBJECT.—*Sale of goods imported by foreign participants in the Third Asian International Trade fair* 1972, *New Delhi.*

No. 178-ITC (PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 170-ITC (PN)/72, dated the 25th November, 1972 which lays down the procedure for sale of goods imported by foreign participants in the Third Asian International Trade Fair 1972 being held in New Delhi from 3rd November, 1972 to 17th December, 1972.

2. It has been provided in paragraphs 2 and 3 of the aforesaid Public Notice that the imported goods of a value not exceeding U.S. $ 50,000 can be sold by each foreign participant directly to actual users holding valid import licences for the goods in question. The sale of goods in excess of U.S. $ 50,000 in value but subject to the foreign participant's quota, can be sold by foreign participants either to the State Trading Corporation, New Delhi, or to actual users holding valid import licences through the State Trading Corporation, as provided in paragraph 4 of the said Public Notice.

3. Actual users willing to purchase the goods from the foreign participants in accordance with the aforesaid Public noticee who do not hold valid import licences but whose applications for import licences for the goods ought to be purchased are pending with the licensing or the sponsoring authorities, should intimate the particulars of such pending applications to the Chief Controller of Imports and Exports (Exhibition Cells, Udyog Bhavan, New Delhi. Arrangements will be made to finalise the applications, in question, expeditiously and to issue the import licences, if otherwise permissible under the normal policy in force, to enable the actual users concerned to purchase the goods imported by foreign participants in the Third Asian International Trade Fair 1972.

4. Actual users willing to purchase the goods from the foreign participants in accordance with the aforesaid Public Notice, who do not hold valid import licences and who have also not yet applied for import licences for the goods in question, are advised to submit their applications for the grant of import licences. Arrangements have been made to fibalise such applications expenditiously and issue licences, if otherwise permissible under the normal policy in force, to enable the actual usresconcerned to purchase the goods imported by foreign participants in the Third Asian International Trade Fair 1972. The import applications in these cases should be submitted by the applicants in accordance with the normal prescribed procedure through the sponsoring authorities concerned. In order to expedite the disposal of these applications, it has been decided that, in the case of small scale industrial units, the State Directors of Industries and other sponsoring authorities should forward the import applications with their recommendatons direct to the Chief Controller of Imports and Exports (Exhibition Cell), Udyog Bhavan, New Delhi. Such applications need not be routed through the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi.

M. M. SEN,

Chief Controller of Impots & Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1972

विषय :—विदेशी भागीदारों द्वारा आयातित माल की तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेला, 1972 नई दिल्ली में बिक्री ।

संख्या 178-आई०टी०सी० (पी० एन०)/72—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 170-आई० टी० सी० (पी एन)/72 दिनांक 25 नवम्बर, 1972 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें 3 नवम्बर, 1972 से 17 दिसम्बर, 1972 तक नई दिल्ली में लगे तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेला, 1972 में विदेशी भागीदारों द्वारा आयातित माल की बिक्री के लिए क्रिया विधि निर्धारित है ।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 2 और 3 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक विदेशी भागीदार द्वारा अधिक से अधिक 50,000 यू० एस० डालर का आयातित माल विषयाधीन माल के लिए वैध आयात लाइसेंसों के धारक वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधे बेचा जा सकता है । मूल्य में 50,000 यू0 एस0 डालर से अधिक का माल होता है किन्तु यह माल विदेशी भागीदार के कोटे के अधीन हो तो उसकी बिक्री, जैसा कि उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 4 में निर्दिष्ट है या तो राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वैध आयात लाइसेंसों के धारक वास्तविक उपभोक्ताओं को विदेशी भागीदारों द्वारा की जा सकती है ।

3. ऐसे वास्तविक उपभोक्ता जो उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार विदेशी भागीदारों से माल खरीदने के इच्छुक है और जिनके पास वैध आयात लाइसेंस नही है किन्तु खरीदे जाने वाले माल के लिए आयात लाइसेंसो से सम्बन्धित उनके आवेदन पत्र, लाइसेंस अथवा प्रायोजक प्राधिकारियों के पास विलम्बित पड़े है, उन्हे चाहिए कि वे ऐसे विलम्बित पड़े हुए आवेदन पत्रों के ब्यौरों से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (प्रदर्शनी कक्ष) उद्योग भवन नई दिल्ली को अवगत कराए ।

विषयाधीन आवेदन पत्रों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए यदि ये लागू सामान्य नीति के अंतर्गत अन्यथा रूप से अनुमेय है तो आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए व्यवस्थाए की जाएगी, जिस से कि सबद्ध वास्तविक उपभोक्ता तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेला 1972 मे विदेशी भागीदारो द्वारा आयातित माल को खरीदने मे समर्थ हो सकें ।

4. ऐसे वास्तविक उपभोक्ता जो उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार विदेशी भागीदारों से माल खरीदने के इच्छुक है किन्तु उनके पास वैध आयात लाइसेंस नही है, और उन्होने विषयाधीन माल के लिए आयात लाइसेंसो के लिए, अभी तक आवेदन पत्र नही भेजा है उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करे । ऐसे आवेदन पत्रों को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए जो सामान्य लागू नीति के अंतर्गत अन्यथा रूप से अनुमेय है, आयात लाइसेंस जारी करने के लिए व्यवस्थाए कर दी गई है जिससे कि सबद्ध वास्तविक उपभोक्ता तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेला, 1972 मे विदेशी भागीदारो द्वारा आयातित माल को खरीदने मे समर्थ हो सकें । ऐसे मामलो मे, आवेदको द्वारा आयात आवेदन पत्र सामान्य निर्धारित क्रिया-विधि के अनुसार सबद्ध प्रयोजक प्राधिकारियो के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए । ऐसे आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए यह निश्चय किया गया है कि लघु पैमाने के औद्योगिक एककों के मामले मे राज्य उद्योग निदेशकों तथा अन्य प्रयोजक प्राधिकारियो को चाहिए कि वे अपनी सिफारिश के साथ आवेदन पत्रों को सीधे मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (प्रदर्शनी कक्ष) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजें । ऐसे आवेदन पत्रों को लघु पैमाने उद्योगों के विकास आयुक्त के माध्यम से भेजना आवश्यक नही है ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972